

ग्रामीण बेरोजगारी का स्वरूप तथा मनरेगा योजना की भूमिका

प्रोफेसर एच.पी.चौधरी¹, जोखन सिंह²

¹अर्थशास्त्र विभाग, टी.एन.पी.जी. कॉलेज टांडा, अंबेडकर नगर उ०प्र०

²असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, गौतम गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय अयोध्या उ०प्र०

Received: 15 May 2024 Accepted & Reviewed: 25 May 2024, Published : 31 May 2024

Abstract

भारत की दो तिहाई आबादी गांव में निवास करती है। इसलिए बिना गांव के संपूर्ण भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारत में जहां एक तरफ आधुनिक सुविधाओं से युक्त विभिन्न शहर हैं जो दुनिया के किसी भी देश की बराबरी करने की क्षमता रखते हैं वहीं दूसरी तस्वीर भारत के गांव की है जहां कि विभिन्न प्रकार की अब भी संरचनात्मक समस्याएं विद्यमान हैं जिसके कारण ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अवसंरचनात्मक की समस्याएं विद्यमान हैं। जिसके कारण ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर पलायन हेतु विवश होना पड़ता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उपयुक्त क्षेत्र में निवेश किया जाए तो जाहिर सी बात है कि गांव का ढांचा मजबूत होगा और ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर लोगो का पलायन कम होगा वही शहरों पर अतिरिक्त जनसंख्या का दबाव भी कम होगा।

मुख्य शब्द— ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण आबादी, स्वरूप, मनरेगा योजना।

Introduction

किसी भी समाज के गरीबी का प्रमुख कारण है उस समाज में अधिकाधिक बेरोजगारी का होना यदि सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो उनकी आय का कुछ ना कुछ माध्यम हो तो वह भौतिक संसाधनों की व्यवस्था स्वयं कर ही लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी के विभिन्न कारणों में से एक व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का विद्यमान होना है। अर्थशास्त्र में बेरोजगार व्यक्ति उसे कहते हैं।

“जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है काम करने के योग्य भी हो फिर भी यदि समाज या सरकार उसे काम नहीं उपलब्ध करवा पाती है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है।” बढ़ती बेरोजगारी किसी भी समाज के लिए घातक होती है। समाज में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने से विभिन्न प्रकार के सामाजिक अपराधों की जैसे चोरी, डकैती एवं आतंकवाद, नक्सलवाद, अवसाद की संख्या में वृद्धि होती है। इससे सामाजिक समरसता भंग होती है ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए ही समय-समय पर विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते रहे हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि। इसी क्रम में व्यापक स्तर पर ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए एक सशक्त कानून 2005 में बनाया गया है जिसे 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के नाम से जाना जाता है। मनरेगा एक बहुत ही व्यापक रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सफलता ग्रामीण बेरोजगारी के स्वरूप में निहित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी का स्व रूप शहरी बेरोजगारी से भिन्न होता है। इसलिए बिना ग्रामीण बेरोजगारी के

स्वरूप के समझे मनरेगा योजना की सार्थकता नहीं सिद्ध की जा सकती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के स्वरूप का अध्ययन करना एवं ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में मनरेगा योजना की क्या भूमिका रही है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रश्न है यह शहरी बेरोजगारी से अपेक्षाकृत भिन्न है। शहरी लोगों का बेरोजगारी का स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाकृत अलग होने के कारण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के लिए अलग-अलग नीतियों को बनाने की आवश्यकता है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रश्न है तो राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण के अनुसार पुरुष श्रमिकों के लिए 1993 – 94 में चालू दैनिक स्थित बेरोजगारी की दर 5.6: थी। यह दर बढ़कर 2004 –2005 में 8.1 0: तक हो गई फिर 2011 –12 तक आते-आते इसमें कमी आई और यह काम होकर 5.5 प्रतिशत तक रह गई ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अध्ययन करने हेतु सामान्य तौर पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है

1 प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी

2 मौसमी बेरोजगार

3 सामान्य स्थिति बेरोजगारी

भारत में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं जिन्हें प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे श्रमिक ऊपर से देखने पर कृषि कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में उनके उत्पादन कार्य में सम्मिलित होने या ना होने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में भारत में पहली बार अनुमान शकुंतला मेहरा ने प्रस्तुत किया इन्होंने संपूर्ण भारत में आंकड़ों को लेकर यह निष्कर्ष दिया कि 1960 के दशक में कृषि में लगी हुई श्रम शक्ति का 17.01 प्रतिशत (लगभग छठा हिस्सा) प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार था। प्रच्छन्न बेरोजगारी की संदर्भ में जहां तक नवीनतम अनुमान का तर्क है वह सन 2016 में अजीत के घोष द्वारा प्रस्तुत किए गए इन्होंने संपूर्ण देश के लिए अतिरिक्त श्रमिकों (प्रच्छन्न बेरोजगारों) का अनुमान प्रस्तुत किया उनके अनुसार 2015 –16 में चालू अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या लगभग 520 लाख थी जो कल श्रम शक्ति का 8 प्रतिशत था जबकि अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या 10.40 करोड़ थी (कल श्रम शक्ति का 15 किसी भी समाज के गरीबी का प्रमुख कारण है उस समाज में अधिकाधिक बेरोजगारी का होना यदि सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो उनकी आय का कुछ ना कुछ माध्यम हो तो वह भौतिक संसाधनों की व्यवस्था स्वयं कर ही लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी के विभिन्न कारणों में से एक व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का विद्यमान होना है। अर्थशास्त्र में बेरोजगार व्यक्ति उसे कहते हैं।

“जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है काम करने के योग्य भी हो फिर भी यदि समाज या सरकार उसे काम नहीं उपलब्ध करवा पाती है तो उसे बेरोजगार कहा जाता है।” बढ़ती बेरोजगारी किसी भी समाज के लिए घातक होती है। समाज में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने से विभिन्न प्रकार के सामाजिक अपराधों की जैसे चोरी, डकैती एवं आतंकवाद, नक्सलवाद, अवसाद की संख्या में वृद्धि होती है। इससे सामाजिक समरसता भंग होती है ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए ही समय-समय पर विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते रहे हैं। जैसे जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, स्वर्ण

जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि। इसी क्रम में व्यापक स्तर पर ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए एक सशक्त कानून 2005 में बनाया गया है जिसे 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के नाम से जाना जाता है। मनरेगा एक बहुत ही व्यापक रोजगार कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की सफलता ग्रामीण बेरोजगारी के स्वरूप में निहित है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी का स्व रूप शहरी बेरोजगारी से भिन्न होता है। इसलिए बिना ग्रामीण बेरोजगारी के स्वरूप के समझे मनरेगा योजना की सार्थकता नहीं सिद्ध की जा सकती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के स्वरूप का अध्ययन करना एवं ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में मनरेगा योजना की क्या भूमिका रही है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रश्न है यह शहरी बेरोजगारी से अपेक्षाकृत भिन्न है। शहरी लोगों का बेरोजगारी का स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाकृत अलग होने के कारण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के लिए अलग-अलग नीतियों को बनाने की आवश्यकता है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रश्न है तो राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण के अनुसार पुरुष श्रमिकों के लिए 1993 – 94 में चालू दैनिक स्थित बेरोजगारी की दर 5.6: थी। यह दर बढ़कर 2004 –2005 में 8.1 0: तक हो गई फिर 2011 –12 तक आते-आते इसमें कमी आई और यह काम होकर 5.5 प्रतिशत तक रह गई ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का अध्ययन करने हेतु सामान्य तौर पर इसे तीन भागों में बांटा जाता है

1 प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी

2 मौसमी बेरोजगार

3 सामान्य स्थिति बेरोजगारी

भारत में कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं जिन्हें प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे श्रमिक ऊपर से देखने पर कृषि कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में उनके उत्पादन कार्य में सम्मिलित होने या ना होने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संदर्भ में भारत में पहली बार अनुमान शकुंतला मेहरा ने प्रस्तुत किया इन्होंने संपूर्ण भारत में आंकड़ों को लेकर यह निष्कर्ष दिया दिया की 1960 के दशक में कृषि में लगी हुई श्रम शक्ति का 17.01 प्रतिशत (लगभग छठा हिस्सा) प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार था।

प्रच्छन्न बेरोजगारी की संदर्भ में जहां तक नवीनतम अनुमान का तर्क है वह सन 2016 में अजीत के घोष द्वारा प्रस्तुत किए गए इन्होंने संपूर्ण देश के लिए अतिरिक्त श्रमिकों (प्रच्छन्न बेरोजगारों) का अनुमान प्रस्तुत किया उनके अनुसार 2015 –16 में चालू अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या लगभग 520 लाख थी जो कल श्रम शक्ति का 8 प्रतिशत था जबकि अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या 10.40 करोड़ थी (कल श्रम शक्ति का 15: था)। भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है देश की कृषि योग्य भूमि के 47.9 प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है किंतु केवल 28 प्रतिशत भूमि पर ही दो या दो से अधिक फसले उगाई जाती है इसका तात्पर्य है कि 72: कृषि भूभाग पर कृषि करने वाले लोग 4 से 6 महीने तक बेरोजगार रहते हैं यदि इस दरमियान में कोई अस्थायी रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं। वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। खेत में मजदूरी करने वाली खेतीहर मजदूर के पास भी

सामान्यतया वर्ष भर रोजगार नहीं प्राप्त होता है। कृषि जांच समिति के हनुमान के अनुसार इनके पास 1956 – 57 में 237 दिन का काम था अर्थात उसे अवधि में औसतन एक मजदूर के बेरोजगारी की अवधि 128 दिन थी। बाद की वर्षों में भी शायद मौसमी बेरोजगारी की प्रवृत्ति बढ़ी है। जैसे की योजना आयोग ने भी चौथी पंचवर्षीय योजना की मध्य अवधि समीक्षा में कहा की हरित क्रांति के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रदेशों में मौसमी बेरोजगारी पहले जितना या उससे अधिक ही थी। जहां तक सामान्य स्थिति बेरोजगारी का प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी से सामान्य स्थिति बेरोजगारी को अलग करना कठिन है जिसका प्रमुख कारण है कि कई बार लंबी अवधि तक बेरोजगार लोगों को मौसमी बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाता है।

आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों से पता चलता है कि 1999 – 94 से 1999–2000 के बीच ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर 0.5 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम शक्ति में वृद्धि दर इससे कहीं अधिक रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अवसर न होने के कारण बहुत से ग्रामीण परिवारों की आय में कमी आई है और खराब आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है। बढ़ती बेरोजगारी को मानव त्रासदी के रूप में स्वीकार करते हुए यू.पी.ए सरकार ने अपनी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह घोषणा की वह रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करेगी। U-P-A सरकार द्वारा नरेगा सितंबर 2005 में पारित किया गया और 2 फरवरी 2006 में इस देश के पिछले 200 जिलों में प्रारंभ किया गया। इसकी बढ़ती लागत को देखते हुए यह कहा गया कि अगले पांच वर्षों में धीरे-धीरे इस संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा जिससे कि अचानक सरकार के ऊपर इसका बोझ ना बढ़े। लेकिन इस की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों की मांग के कारण 2007 – 08 में इसके अधीन 130 और जिलों को इससे जोड़ा गया लेकिन अगले वर्ष 1 अप्रैल 2008 से बाकी बचे हुए 274 जिलों में शुरू कर दिया गया।

इस योजना में ग्रामीण परिवार के एक अकुशल वयस्क सदस्य को 100 दिन की रोजगार गारंटी का प्रावधान है जो कि ग्रामीण परिवेश को देखते हुए उपयुक्त है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव होता है और, अकुशल श्रमिकों की अधिकता यह अकुशल श्रमिक जब अपने क्षेत्र में काम नहीं पाते थे तो शहरों की ओर पलायन करते थे जिससे कि शहरों में इन्हें कार्य कुशलता ना होने के कारण कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता था और अनावश्यक ना चाहते हुए भी गंदी मलिन बस्तियों में रहना पड़ता था। शहरों के ऊपर अनावश्यक भार बढ़ता है और शहरों में मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ती है इस दृष्टिकोण से जब लोगों को गांव में ही काम उपलब्ध हो जाएगा तो वह शहरों की ओर पलायन से बचेंगे वह अपने सामाजिक परिवेश में ही रहकर आय का जरिया बनेंगे इस दृष्टिकोण से मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने में सार्थक है। मनरेगा योजना में मजदूरी की दर पहले से ही नियत है तथा इसे और अधिक बेहतर बनाने हेतु इसे जनवरी 2011 से सरकार ने मजदूरी दर का निर्धारण कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर करने का निर्णय लिया है जो की इसे और बेहतर बनाता है। इससे हर वर्ष मनरेगा मजदूरी में वृद्धि होगी जो कि श्रमिकों के हित में ही है। बढ़ी हुई मजदूरी से बेरोजगार इसमें कार्य करने के इच्छुक होंगे तथा इससे अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत काम करवाने वाले व्यक्ति लोग भी कम मजदूरी पर मजदूर प्राप्त नहीं कर सकेंगे इससे बेगारी प्रथा में कमी आएगी लोग जागरूक होंगे। मनरेगा मजदूरी का भुगतान बैंकिंग सिस्टम से होने की अनिवार्यता के कारण इसमें चोरी की संभावना कम है

क्योंकि बैंकिंग प्रणाली में पूरी मजदूरी मजदूर के खाते में भुगतान होगी। इससे वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा।

मनरेगा से प्राप्त मजदूरी से ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि हुई है ग्रामीण भारत लोगों का जीवन यापन आधार मजबूत हुआ है यह इस बात से इंगित होता है की मनरेगा में खर्च विभिन्न वर्षों में 17 से लेकर 30 प्रतिशत बढ़ा है। जैसा की 2015 – 16 में 44002 करोड़ रुपए 2016 – 17 में बढ़कर 58 525 करोड़ रुपए जो बढ़कर कोरोना काल में 2021 – 22 में 98000 करोड़ रुपए हो गया। जहां तक मजदूरी की बात है मनरेगा की अधीन 2006 – 07 में औसत मजदूरी रुपया 65 थी जो बढ़कर 2013 – 14 तक आते-आते 132.7 रुपए हो गई और 2016 – 17 में 161.65 हो गई जो इस बात को इंगित करती है कि समय-समय पर मनरेगा मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में यदि देखा जाए तो इस योजना में यह प्रावधान है कि इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 33: रहेगी। जबकि वास्तव में इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 57 प्रतिशत तक है जो इस बात को इंगित करती है कि समाज में इससे महिलाओं को संबल मिलेगा परिवार में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को मजबूती मिलेगी साथ-साथ वह मानसिक रूप में मजबूत होगी। इससे नारी सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। यह योजना समाज के वंचित गरीब असहाय वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए भी संबल प्रबल रूप से प्रदान करती है इस योजना में अनुसूचित जातियों की भागीदारी 20 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है। यह आंकड़े इस बात की और इंगित करते हैं कि इस योजना से समाज का आर्थिक समावेशी विकास को बल मिला है जो वर्तमान परिदृश्य में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बाजार आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने से और समाज के गरीब असहाय वर्ग को बाजार के सहारे छोड़ने पर उनकी स्थिति दयनीय ही होती है।

इस योजना से गांव की आधारिक संरचना को मजबूत करने को बल मिला है गांव से तालाबों की खुदाई से भूगर्भ जल स्तर बढ़ा है जो गांव में पानी (सिंचाई, पीने) के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है। मेडबंदी बंजर व परती चारगाह की भूमियों पर वृक्ष लगाने से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हुआ है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है यह योजना व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए योजना में निहित प्रावधानों का पालन किया जाए साथ-साथ इस योजना में कुशल व अकुशल दोनों प्रकार के कार्यों का प्रावधान किया जाए तो यह योजना ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में काफी मददगार साबित हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ—

1. भारतीय अर्थव्यवस्था— मिश्र एवं पुरी
2. आर्थिक समीक्षा 2022–23
3. योजना
4. भारतीय अर्थव्यवस्था —दत्त एवं सुंदरम
- 5— कुरुक्षेत्र
6. आर्थिक सर्वेक्षण तथा विश्लेषण प्रोफेसर एस एन लाल